

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 699]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2010—पौष 10, शक 1932

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-6-144-2003-सात-नजूल.—मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों में स्थित पट्टे की भूमियों के संबंध में फ्री-होल्ड अधिकार का प्रदान किया जाना नियम, 2010 के नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संभागीय मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्रों के लिये अपर कलेक्टरों तथा संभागीय मुख्यालयों से भिन्न नगरीय क्षेत्रों के लिये उपखण्ड अधिकारियों को, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इन नियमों के प्रयोजन के लिये, प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010

क्र. एफ-6-144-2003-सात-नजूल.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-6-144-2003-सात-नजूल-दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 14th December 2010

No. F-6-144-2003-Seven-Nazul.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (1) of rule 3 of the Madhya Pradesh Grant of Freehold Right in respect of Land on Lease situated in Urban Areas Rules, 2010, the State Government, hereby, notifies the Additional Collectors for urban areas of divisional headquarters and Sub-Divisional Officers for urban areas other than divisional headquarters, as an authorised officer, within their respective jurisdictions, for the purpose of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. S. PARMAR, Dy. Secy.

1397